10-05-2022

Chandigarh Dinbhar

'Warning', a must on unhealthy packaged foods

'चेतावनी', अस्वास्थ्यकर पैकेन्ड खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य तौर पर लगाई जाए

चंडीगढ़. न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) द्वारा आज 'अस्वस्थ खाद्य/पेय उत्पादों पर फंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (एफओपीएल)' पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए अपना वक्तव्य जारी किया है। डॉ.अरुण गुप्ता, कन्वीनर, न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) ने पोजीशन स्टेटमेंट पेश करते हुए कहा कि ''एनएपीआई में हम मानते हैं कि एफएसएसएआई अपने दृष्टिकोण और अस्वास्थ्यकर खाद्य और पेय उत्पादों पर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' को शामिल करने के निर्णय दोनों में गलत हो गया है। हमें यह बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि देश भर के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता निकाय इस गैर-जिम्मेदाराना कदम के खिलाफ एक साथ आए हैं।"